केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने एनडीआरएफ कर्मियों के लिए

चालीस फीसद जोखिम भत्ते को मंजूरी दी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जून।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) बचावकर्मियों द्वारा पूरे किए जाने वाले कठिन अभियानों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए 40 फीसद जोखिम और कठिनाई भत्ते को मंजूरी दी है।

उन्होंने एनडीआरएफ के 35 सदस्यीय अभियान दल का स्वागत करते हुए यह बात कही। इस दल ने हाल में हिमाचल प्रदेश में 21,625 फुट ऊंची मणिरंग चोटी पर चढ़ाई की थी। मणिरंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और स्पीति जिलों की सीमा पर स्थित है। शाह ने 'विजय' नामक अभियान दल का स्वागत करने के बाद कहा कि सरकार ने कल ही एनडीआरएफ कर्मियों के लिए 40 फीसद जोखिम और कठिनाई भत्ते को मंजूरी दी है। यह लंबे समय से लंबित मांग थी... बल के सभी 16,000 कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि यह भत्ता वेतन के अतिरिक्त दिया जाएगा। शाह ने कहा कि सरकार ने विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और एनडीआरएफ जैसे विशेष संगठनों के लिए खेलों को जरूरी बनाने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि इन सुरक्षा बलों की कम से कम एक टीम अनिवार्य रूप से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेगी।

मंत्री ने कहा कि खुफिया ब्यूरो के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है और एक खाका तैयार किया गया है। हम जल्द ही एक नया माडल पेश करेंगे। शाह ने कहा कि उनकी सरकार ने एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बलों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए 2004-14 के दौरान 66,000 करोड़ रुपए की तुलना में 2014-24 के दौरान दो लाख करोड़ रुपए आबंटित करके अधिक धनराशि आबंटित की है। उन्होंने सफल अभियान के लिए एनडीआरएफ टीम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की कवायद से बल की क्षमता और मनोबल बढ़ेगा तथा आपदाओं और दुर्घटनाओं के दौरान वे बेहतर कार्य कर सकेंगे। शाह ने बचावकर्मियों को आगाह किया कि उन्हें अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि सुधार करते रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 'आज न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में कहीं भी आपदा आती है तो लोग एनडीआरएफ की तरफ देखते हैं। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, लेकिन अगर एनडीआरएफ का जवान अपनी वर्दी में खड़ा है तो इससे मुश्किल में फंसे लोगों का हौसला कई गुना बढ़ जाता है।'

उन्होंने एनडीआरएफ के 35 सदस्यीय अभियान दल का स्वागत करते हुए यह बात कही। इस दल ने हाल में हिमाचल प्रदेश में 21,625 फुट ऊंची मणिरंग चोटी पर चढ़ाई की थी।
शाह ने 'विजय' नामक अभियान दल का स्वागत करने के बाद कहा कि सरकार ने एनडीआरएफ कर्मियों के लिए 40 फीसद जोखिम और कठिनाई भत्ते को मंजूरी दी है।

'अनारक्षित' नहीं की जा रहीं आरक्षित सीट : यूपी सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जून।

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री (एमओएस) अनुप्रिया पटेल के एक पत्र के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने विस्तृत विवरण भेज कर कहा कि चयन प्रक्रिया के बाद खाली रहने वाले कोटे के पदों को अनारक्षित पदों में परिवर्तित नहीं किया जाता है और उन्हें अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

अनुप्रिया पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सरकारी भर्ती प्रक्रिया में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों को 'अनारक्षित' करने की प्रथा को समाप्त करने का आग्रह किया था। अनुप्रिया पटेल अपना दल (सोनीलाल) की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो यूपी में सत्तारूढ़ भाजपा की प्रमुख सहयोगी है। अनुप्रिया के पत्र का जवाब देने से पहले, उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल आयोगों और विभागों सहित विभिन्न सरकारी निकायों से विस्तृत रपट एकत्र की। इन रपटों के आधार पर राज्य सरकार के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने शुक्रवार देर रात केंद्रीय राज्य मंत्री को जवाब भेजा।जवाब में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने सरकारी संस्थाओं से प्राप्त ऐसी रपटों का हवाला दिया है, जहां सीधे साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं। चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार ने अपने जवाब में राज्य मंत्री को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया है। उनके पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सरकार को सूचित किया है कि साक्षात्कार प्रक्रिया में 'कोडिंग' का उपयोग किया जाता है जिसके आधार पर उम्मीदवारों का नाम, आरक्षण, श्रेणी और आयु अज्ञात रहती है और ऐसी व्यक्तिगत जानकारी साक्षात्कार बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ

कोर्ट ने खारिज किया वन्यजीव अध्ययन केंद्र का पंजीकरण रद्द करने का आदेश

बंगलुरु, 29 जून (भाषा)।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत सेंटर फार वाइल्डलाइफ स्टडीज (सीडब्लूएस) का पंजीकरण रद्द करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है।

वैज्ञानिक के उल्लास कारंत द्वारा स्थापित, बंगलुरु स्थित सीडब्लूएस को पांच मार्च, 2021 को एफसीआरए के तहत पंजीकरण के 'निलंबन' का सामना करना पड़ा। इस निलंबन को बढ़ा दिया गया और बाद में तीन दिसंबर, 2021 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के बाद चार सितंबर, 2023 को पंजीकरण रद्द कर दिया गया। सीडब्लूएस ने पंजीकरण रद्द करने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह तर्कसंगत नहीं है और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दिवंगत के शिवराम कारंत के पुत्र को एफसीआरए की धारा 14(2) के तहत अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका न देने से यह आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

गृह मंत्रालय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पंजीकरण रद्द करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि धारा 14(2) पंजीकरण रद्द करने की अनुमति देती है, वहीं धारा 14(3) संस्था को तीन साल तक फिर से पंजीकरण करने से रोकती है। न्यायाधीश ने हाल में दिए गए आदेश में कहा, 'अधिनियम में वर्णित शब्द 'सुनवाई का उचित अवसर' को केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) की विशिष्टता के कारण मामले के विशिष्ट तथ्यों पर याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए।' अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका न देने से यह आदेश निष्प्रभावी हो गया है। न्यायाधीश ने कहा, 'इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि सुनवाई और व्यक्तिगत सुनवाई के बीच हमेशा एक संयोजन हो सकता है।'

एक्सप्रेस-वे पर दो वाहनों की टक्कर, सात की मौत

जालना , 29 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र के जालना जिले में मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे पर दो कार की टक्कर होने से सात लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे को समृद्धि एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे कदवांची गांव के निकट हुआ। उसने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोग मुंबई के मलाड (पूर्व) और बुलढाणा जिले के निवासी थे। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ह्यनागपुर से मुंबई जा रहा ह्यमल्टी-यूटिलिटी व्हीकलह्न (एमयूवी) और विपरीत दिशा से आ रही एक कार के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिससे छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में एक और व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अधिकारी ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि एमयूवी अवरोधक को तोड़कर सड़क के बाईं ओर जा गिरी। उन्होंने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। जालना के सरकारी जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. उमेश जाधव ने बताया कि छह शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया है।

सभी धर्मों के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ दर्शन कराएगी महाराष्ट्र सरकार

मुंबई, 29 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को सभी धर्मों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' की घोषणा कर दी।

मुख्यमंत्री ने कहा इस योजना से उन बुजुर्गों को मदद मिलेगी जो वित्तीय समस्याओं के कारण तीर्थ स्थलों पर नहीं जा पाते हैं। शिंदे ने राज्य विधानसभा में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह घोषणा की।

इस योजना के तहत सरकार सभी धर्मों के उन वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थयात्रा कराएगी जो अपनी बदौलत यात्रा करने में असमर्थ हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सभी धर्मों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होगी।' उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए नियम बनाए जाएंगे और सरकार सभी धर्मों के उन वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थयात्रा की सुविधा प्रदान करेगी जो अपनी बदौलत यात्रा करने में असमर्थ हैं। अपनी मांग में सरनाईक ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक वित्तीय समस्याओं के कारण तीर्थ यात्रा पर जाने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं या उनके साथ जाने वाला कोई नहीं होता है और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती है कि वे तीर्थ यात्रा पर कैसे जा जाएं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योजना शुरू करनी चाहिए और इसमें सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों को शामिल करना चाहिए।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
www.bankofbaroda.in

प्रस्ताव के लिए अनुरोध

बैंक ऑफ बड़ौदा, डिजिटल ऑपरेशंस ग्रुप "हमारे बैंक के डेबिट कार्ड के अनधिकृत/धोखाधड़ी पूर्ण उपयोग को कवर करने के लिए 5.00 करोड़ रुपये के डेबिट कार्ड पैकेज बीमा की खरीद के लिए बीमा नियामक IRDAI द्वारा नियामित जनरल बीमा कंपनी के चयन के लिए प्रस्ताव का अनुरोध (आर.एफ.पी)" पर प्रतिक्रिया आमंत्रित करता है।

प्रस्ताव का अनुरोध(आर.एफ.पी)/निविदा दस्तावेज का विवरण बैंक की वेबसाइट **https://www.bankofbaroda.in** पर **'निविदा अनुभाग'** के तहत उपलब्ध है।

दस्तावेज में संशोधन सहित परिशिष्ट/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट **https://www.bankofbaroda.in** पर अधिसूचित किया जाएगा। बोलीदाता को प्रस्ताव का अनुरोध को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले इसे संदर्भित करना चाहिए।

उपरोक्त आर.एफ.पी/जमा करने की अंतिम तिथि 19/07/2024 अपराह्न 3:00 बजे तक है।

स्थान: मुंबई
दिनांक : 30.06.2024

मुख्य महाप्रबंधक
डिजिटल चैनल्स एवं परिचालन

(40/24-25)

पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक
मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली, पॉकेट – ई, मयूर विहार, फेज–।।, दिल्ली–110091
फोन 011-22779758, 22785289

दिनांक 18.06.2024

श्री संदीप जैन, पुत्र श्री के.सी.जैन (उधारकर्ता), पताः ई–8, निवोदिता एन्क्लेव, ए–6, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 और: एस–3, एलआईजी, द्वितीय तल, प्लॉट सं. बी–1/81, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन–।।, हदबस्त, गांव–ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, परगना–लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201005

श्रीमती प्रीता जैन, पत्नी श्री संदीप जैन (सह–उधारकर्ता), पताः एस–3, एलआईजी, द्वितीय तल, प्लॉट सं. बी–1/81, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन–।।, हदबस्त, गांव– ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, परगना–लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201005, और: ई–8, निवोदिता एन्क्लेव, ए–6, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063

विषयः खाता संदीप जैन ऋण खाता 08446015001522 में संपत्ति में पड़ी वस्तुओं को हटाने/उठाने के लिए नोटिस

संपत्ति में पड़ी वस्तुओं/सामान को हटाने/उठाने के लिए उपरोक्त शीर्षक विषय के संदर्भ में " रिहायशी फ्लैट नं. एस–3(एल आई जी) (द्वितीय तल) (छत के अधिकार के) तीन मंजिला भवन फ्री होल्ड प्लॉट नं. बी–1/81 पर निर्मित, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन–।। हदबस्त, गांव: ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा परगना–लोनी, तहसील और जिला–गाजियाबाद, क्षेत्रफल 37.16 वर्गमीटर, यह सम्पत्ति संदीप जैन के नाम पर है।

आपको सूचित किया जाता है कि डीएम आदेश 8044/2022 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार भौतिक कब्जे के दौरान उक्त परिसर में कुछ इन्वेंट्री पाई गई।

इसलिए, आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस के 7 दिनों के भीतर संपत्ति में पड़े सामान/वस्तुओं को हटा दें, अन्यथा बैंक आपके जोखिम और जिम्मेदारी पर इन्वेंट्री का निपटान करेगा।

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
सर्कल शास्त्र सेन्टर, पश्चिमी दिल्ली
द्वित्तीय तल, विक्रांत टॉवर, राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली–110008

शुद्धिपत्र

आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ई–नीलामी सूचना अर्थात अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 20.06.2024 को अंग्रेजी समाचार पत्र– 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' (पेज नंबर 32) और हिंदी समाचार पत्र– 'जनसत्ता' (पेज नं. 28) में **क्रमांक 3** पर [**सुश्री नीति शुक्ला** के ऋण खाते में] की सम्पत्ति अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इस सम्पत्ति को बैंक ने 29.07.2024 को होने वाली ई–नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है।

दिनांकः 28.06.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक

SBI भारतीय स्टेट बैंक
तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा, रिटेल
प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110015,
फोन: 25419177, 25412977 ई–मेल: sbi.05169@sbi.co.in

शुद्धि–पत्र

दिनांक **06.06.2024** को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई–नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि **कर्जदार : मैसर्स दौरली इस्पात प्रा. लि.** की सम्पत्ति की ई–नीलामी दिनांक 06.07.2024 को होनी है।

ई–नीलामी दिनांक 09.07.2024 तक पुन–निर्धारित की गई है।

अन्य विवरण और नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी।

दिनांक: **29-06-2024**, हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : नई दिल्ली भारतीय स्टेट बैंक

जिम्मेदार नागरिक बनें
आज ही संपत्ति कर का भुगतान करें

30 जून 2024 तक वर्ष 2024-25 का संपत्ति कर जमा करायें

अंतिम समय में कार्यालय की भीड़ और वेबसाइट के व्यस्त होने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज ही दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन करें या दिल्ली नगर निगम के ऐप पर जायें अथवा दिल्ली नगर निगम के निकटतम शिविर में जायें।

संपत्ति कर UPI/Payment Apps/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर अथवा किसी भी ऑनलाइन माध्यम से जमा कराया जा सकता है

₹ 10,000/- तक के संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान करने पर 2% की अतिरिक्त छूट

संपत्ति कर जमा करने के लिए सभी संपत्ति कर कार्यालय 30 जून 2024 (रविवार) को भी खुले रहेंगे

अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए कॉल करें: 011-23226445/46/47
या दिल्ली नगर निगम के हेल्पलाईन नं. 155305 पर सम्पर्क करें

RO No. 07/DPI/MCD/2024-25

दिल्ली नगर निगम
डॉ. एस.पी.एम. शिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली 110002
वेबसाइट: www.mcdonline.nic.in

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.
INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES (AS DEFINED IN THE DRHP) IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

MAMATA MACHINERY

MAMATA MACHINERY LIMITED

Our Company was incorporated as *'Patel Machinery Private Limited'*, as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated April 17, 1979 issued by the Registrar of Companies, Gujarat at Ahmedabad (**"RoC"**). Pursuant to a special resolution passed by the shareholders of our Company dated September 19, 1988, the name of our Company was changed to *'Mamata Machinery Private Limited'*, and our Company received a fresh certificate of incorporation dated December 16, 1988 issued by the RoC. Subsequently, our Company was converted into a public limited company, pursuant to a special resolution passed by the shareholders of our Company dated June 5, 2024 and the name of our Company was changed to *'Mamata Machinery Limited'* and a fresh certificate of incorporation dated June 21, 2024, was issued by the RoC. For further details of change in name and Registered Office of our Company, please refer to the section titled *"History and Certain Corporate Matters – Brief history of our Company"* and *"History and Certain Corporate Matters – Changes in the Registered Office of our Company"* on page 181 of the Draft Red Herring Prospectus dated June 28, 2024 (**"DRHP"**).

Corporate Identity Number: U29259GJ1979PLC003363
Registered and Corporate Office: Survey No. 423/P, Sarkhej-Bavla Road, N.H No. 8A, Moraiya, Sanand, Ahmedabad, Gujarat - 382213, India;
Tel: 02717-630 800/801; **E-mail:** cs@mamata.com; **Website:** www.mamata.com; **Contact Person:** Madhuri Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: MAHENDRA PATEL, CHANDRAKANT PATEL, NAYANA PATEL, BHAGVATI PATEL, MAMATA GROUP CORPORATE SERVICES LLP AND MAMATA MANAGEMENT SERVICES LLP

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 7,382,340 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF MAMATA MACHINERY LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION (THE "OFFER") COMPRISING AN OFFER FOR SALE OF UP TO 534,483 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO [●] MILLION BY MAHENDRA PATEL, UP TO 1,967,931 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO [●] MILLION BY NAYANA PATEL, UP TO 1,227,042 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO [●] MILLION BY BHAGVATI PATEL, UP TO 2,129,814 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO [●] MILLION BY MAMATA GROUP CORPORATE SERVICES LLP AND UP TO 1,523,070 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO [●] MILLION BY MAMATA MANAGEMENT SERVICES LLP ("SELLING SHAREHOLDERS") (THE "OFFER FOR SALE").

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹ 10 EACH AND THE OFFER PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER ("BRLM") AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [●] EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED GUJARATI DAILY NEWSPAPER, GUJARATI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF GUJARAT WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Syndicate Member(s) and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank(s), as applicable.

This is an Offer in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR, read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6 (1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (**"QIBs and such portion**, the **"QIB Portion"**), provided that our Company, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (**"Anchor Investor Portion"**), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors (**"Anchor Investor Allocation Price"**), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders (**"Non-Institutional Portion"**) (of which one-third of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size between ₹ 0.20 million up to ₹ 1.00 million and two-thirds of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size exceeding ₹ 1.00 million) and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other subcategory of Non-Institutional Portion, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID in case of UPI Bidders using the UPI Mechanism, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**) or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA Process. For further details, see *"Offer Procedure"* on page 347 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP dated June 28, 2024 with the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**). Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. Bombay Stock Exchange (**"BSE"**) and National Stock Exchange (**"NSE"**) at www.bseindia.com, www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.mamata.com and the website of the BRLM i.e. Beeline Capital Advisors Private Limited at www.beelinemb.com. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI, with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to *"Risk Factors"* on page 29 of the DRHP.

Any decision whether to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after a red herring prospectus (**"Red Herring Prospectus"**) for the same has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on BSE and NSE.

For details of the share capital and capital structure and the names of the signatories to the memorandum and the number of shares subscribed by them of the Company, see *"Capital Structure"* on page 69 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 181 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER
BEELINE Capital Advisors Pvt. Ltd.	LINK Intime
Beeline Capital Advisors Private Limited B 1311-1314 Thirteenth Floor Shilp Corporate Park, Rajpath Rangoli Road Thaltej Ahmedabad, Gujarat - 380054 India. **Telephone:** +91 79 4918 5784 **Email:** mb@beelinemb.com **Website:** www.beelinemb.com **Investor Grievance ID:** ig@beelinemb.com **Contact Person:** Nikhil Shah **SEBI Registration Number:** INM000012917	**Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra. **Telephone:** +91 22 4918 6200 **E-mail:** mamatamachinery.ipo@linkintime.co.in **Investor grievance e-mail:** mamatamachinery.ipo@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Contact Person:** Avani Ghate **SEBI registration number:** INR000004058

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **MAMATA MACHINERY LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Madhuri Sharma
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Ahmedabad
Date: June 29, 2024

MAMATA MACHINERY LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.mamata.com and the website of the BRLM i.e. Beeline Capital Advisors Private Limited at www.beelinemb.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled *"Risk Factors"* on page 29 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U. S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made.

Adfactors 165